न्यायालय, अवर न्यायाधीश, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर

विभाजन वाद–16 / 2020

डोमनी देवी.....वादी

बनाम

मीरा लखिया देवी वगैरह.....प्रतिवादीगण

आदेश

24.06.25 अभिलेख आज प्रतिवादी प्रथम पक्ष की ओर से न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक–17.04.2025 को वापस लेने हेतु दाखिल आवेदन दिनांक–14.05.2025 तथा उसके तत्संबंधित प्रत्युत्तर दिनांक–24.05.2025 पर सुनवाई पश्चात् आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया है।

प्रतिवादी ने अपने आवेदन में यह निवेदन किया है कि वर्तमान वाद प्रतिवादी की गवाही चल रही थी और प्रतिवादी की ओर से एक साक्षी का प्रतिपरीक्षण भी हुआ तथा दिनांक–17.04.2025 को प्रतिवादी के संशोधन आवेदन पर आदेश हुआ एवं उसी आदेशफलक दिनांक–17.04.2025 के द्वारा प्रतिवादी साक्ष्य बन्द कर दिया गया। प्रतिवादी की ओर से साक्षी सूचि एवं कागजात भी दाखिल हुआ है जिसे प्रतिवादी प्रदर्श कराने को तत्पर है। प्रतिवादी ने जानबूझकर साक्ष्य देने में कोई कोताहि नहीं की बल्कि प्रतिवादी को साक्ष्य देने का अवसर ही नहीं दिया गया, जो युक्तियुक्त कारण है तथा अगर प्रतिवादी का साक्ष्य रिकॉल नहीं होता है तो उन्हें अपूर्णीय क्षति होगी। अतः निवेदन है कि आदेश दिनांक–17.04.2025 को वापस लेते हुए प्रतिवादी को साक्ष्य रिकॉल करने की कृपा की जाए।

अपने प्रत्युत्तर में वादी ने निवेदन किया है कि प्रतिवादी का आवेदन विधि एवं तथ्य की दृष्टि से पोषणीय नहीं है, बल्कि खारिज होने योग्य है, चूँकि प्रतिवादी जानबूझकर वादी को तंग व परेशान करने के उद्देश्य से वर्तमान आवेदन दाखिल किया है। अतः निवेदन कि प्रतिवादी का आवेदन खारिज करने की कृपा की जाए।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि वर्तमान वाद में प्रतिवादी साक्ष्य बन्द होने के तत्पश्चात् बहस हेतु नियत हुआ तथा अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी को साक्ष्य हेतु अवसर प्रदान किया जाना उभय पक्षों के मध्य विवादग्रस्त वास्तविक प्रश्नों के अवधारण हेतु एवं वाद के अंतिम न्याय–निर्णयन हेतु आवश्यक प्रतीत होता है। अतः न्याय के उद्देश्य से अभिलेख को पुनः प्रतिवादी के साक्ष्य पर नियत किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तद्नुसार प्रतिवादी की ओर से दाखिल उपरोक्त आवेदन को मो0 500 / – रुपये खर्च वादी को अदा किए जाने के शर्त पर स्वीकृत किया जाता है। तत्पश्चात् प्रतिवादी को निर्देश दिया जाता है कि वे पॉच तिथियों में निश्चित रूप से न्यायालय में प्रस्तुत कर अपना साक्ष्य पूर्ण करें।

अभिलेख दिनांक– वास्ते पुनः प्रतिवादी साक्ष्य हेतु नियत किया जाता है।

अवर न्यायाधीश,
शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर।